विषय:- केंद्रीय सरकारी उद्योगों में वर्ष 1987 तथा वर्ष 1992 के आधार पर औपचारिक महंगाई भाव बेतनमान अपनाने वाले निर्देशक मण्डल स्तर के/उस स्तर से नीचे के कार्यालयों तथा असंचालन परिषदों को महंगाई भट्टों का सुनिश्चित।

अभ्योगस्तायी को इस विभाग के दिनांक 19.7.1995 के कार्यालय जापन संख्या 2(50)/86-लोडवि (मजूरी कक्ष) के पैरा 4 का उल्लेख करने का निर्देश हुआ है, जिसमें निर्देशक मण्डल स्तर के कार्यालयों को देय महंगाई भट्टों की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय जापन के अनुक्रम III में वर्णित महंगाई भाव योजना के अनुसार तैयारिक औसत सूचकांक 1099(1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भट्टों की किर्त्तियुद्ध प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अगस्त के देखभाल के अनुसार संयोजित किया जाएः

2. इस विभाग के दिनांक 03.01.2019 के समसंदर्भ कार्यालय जापन के अनुक्रम में केंद्रीय सरकारी उद्योगों में वर्ष 1992 का आईडीए पैरंट सेटिंग अपनाने वाले निर्देशक मण्डल स्तर के तथा निर्देशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यालयों और असंचालन परिषदों को देय महंगाई भट्टों की दरों को निम्नानुसार संयोजित किया जाएः

(क) जिस तारीख से देय हैः 01.04.2019

(ख) दिसम्बर, 2018- फरवरी, 2019 तिमाही का अक्षिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संबंधित 1960=100)

<table>
<thead>
<tr>
<th>दिनांक</th>
<th>मूल्य सूचकांक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>दिसम्बर, 2018</td>
<td>6872</td>
</tr>
<tr>
<td>जनवरी, 2019</td>
<td>7006</td>
</tr>
<tr>
<td>फरवरी, 2019</td>
<td>7006</td>
</tr>
<tr>
<td>तिमाही का औसत</td>
<td>6961</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ग) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 5862 अंक (6961-1099)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में % वृद्धि: 533.4% (5862/1099*100)
विभिन्न बेतन भेंजियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें

<table>
<thead>
<tr>
<th>मूल बेतन प्रतिमाह</th>
<th>महंगाई भत्ते की दर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3500/- रुपए तक</td>
<td>बेतन का 533.4% परन्तु न्यूनतम 11724/- रुपए</td>
</tr>
<tr>
<td>3500/- रुपए से अधिक तथा 6500/- रुपए तक</td>
<td>बेतन का 400% परन्तु न्यूनतम 18669/- रुपए</td>
</tr>
<tr>
<td>6500/- रुपए से अधिक तथा 9500/- रुपए तक</td>
<td>बेतन का 320% परन्तु न्यूनतम 26000/- रुपए</td>
</tr>
<tr>
<td>9500/- रुपए से अधिक</td>
<td>बेतन का 266.7% परन्तु न्यूनतम 34000/- रुपए</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अमला उच्चतर रूपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. केंद्रीय सरकारी उद्योगों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न बेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यालयों एवं असंबंधित पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.04.2019 से देय आयोगिक महंगाई भत्ते के राशि नियमावली के पूर्णांत प्रणाली के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की दर में 76 अंकों की बृद्धि के लिए 152/- रुपए तथा अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6961 पर 12511.75 रुपए महंगाई भत्ता देय होगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को आवश्यक कार्यवाह हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्योगों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

अवर सचिव

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केंद्रीय सरकारी उद्योगों के मुख्य कार्यालय।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों के विनियम सलाहकार।
3. व्य विभाग, रेधा।। नारायण जी, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक व महानेत्रा परीक्षा, 9 दीनदयान उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केंद्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लेकर उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

अवर सचिव